प्टरियाणा सरकार

1100

May 10

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूराभा

विवर्षक 10 नवस्थर, 2007

ख्या सी**ंसी०पी०(एन०सी०आर०)/जी०सी०पी०/एस०ए**न० पी०/जी०एन**०एन०-सी०ए०/२००७/३८७७.—**गंजाय अनुस्वित सङ्क सथा त्रेत क्षेत्र रानियांगत निवास निवास अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (4) ग्रास प्रदत्त शक्तियाँ प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यवासामध्यके द्वारा, होरवाणा राजधन (जसाधारण), दिनांक 19 अलसूबर, 2005 में प्रधाशित हरियाणा बर, नगर, तथा ग्राम, आयोजना विमाण, अधिसूचना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/डी.डी.पी./एस.एन.पी./जी.एन.एम.-सी.ए. 05/1594, दिनांगः 19 अबसूबर, 2005 में संशोधन का निम्नतिखित प्रारूप उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं, जिनके । प्रशःवित होने भी राजानना है। 1 Herrich

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राज्यत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अविधि की समाप्ति पर था हे पश्चात सरकार, संत्रीयन के प्रास्त्य पर्दू, देसे आहोपी तथा पुदाबों सहित, यदि कोई हो, जो निरोशक, नगर तथा प्राम आयोजना निपाम, पाणा, जायोजना भवन, रीकटर-18 चण्डीगढ़ । सारा लिखित रूप में संशोधन के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिक य की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाये, विचार करेगी। in determine

संशोधन प्रास्त

Malt. 1.12 ष्ट्रियाणा सरकार, नगर तथा अम आवाजना विभाग, ऑयसूवना संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर.)/डी.डी.ची./एस.एन.पी. जो.एम.एन. .प./2005/1594, दिनोक 19 अवसूबर, 2005 गे,-

"प्रार्दग" शीर्थ के नीचे, हुन संख्या 2 तथा उसके सागने प्रविष्टियों के स्थान गर, निम्नतिखित क्रम संख्या तथा उसके सागने प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थातुः - प्रतासा

ें '2. गनीर पुनरिक्षित प्रारूप विकास प्लान-2021 ए.डी. ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एस) 950/2003, दिनांफ 11 जन्स्त, 2003 सथा .पुःरिक्षितः द्वादेग संख्या डी.टी.पी. (एस)1151/2007, िनोक 15 अलतुबर, 2007";

"2021 ए.डी." और सथा शन्र जहां कही भी आये, के स्थान पर "2025 ए.डी." और तथा शन्र प्रांसरमाधित किसे आयेथे;

जीनवन्त्र 'का' में,' ''जानसंख्या/जनसांख्यियीय'' शीर्थ, के नीचे,-

a rander to

(क) विध्यमान तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात,-

" वर्ष	णनसंख्या ,क	ध्यकास वर
1961	6,890	
.1971	8,399	21,90%
1981	16,489	96.32%
1991	20,952	27.06%
2001	29,005	38.43%
2011	55,109 (18Rn)	90.00%
2021	1,07.462 (willen)	95.00%
2025	1,75.000 (ud@a)	62.00%";

(ख) ताल्यित्र के नीचे विषमान पैरा में "85000" अंगों तथा विष्ठन के स्थान घर, "1,75,000" अंग्र तथा चित्रन प्रतिस्थापित

"VII प्रस्तावनाये" भीर्च के (क) तुसीय पंक्ति में "BS000" अंको के स्थान पर "1,75,000" अंक तथा चिहन प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

विदागान तालिया के नीचे कमशः "85000" तथा "55" अंको के स्थान पर "1,75,000" तथा "114" अंक तथा चिहन (u) प्रतिस्थापित तेन्ये जाएँगे।

"प्रस्तावित भूगि उपयोग" शोर्ष को ाथे "रिहायशी" उगशीर्ष में "85000" अंको के स्थान पर "1,75,000" जांक तथा विहन प्रतिरथापित किये जाएंगे।

> क्षीत एसक घेसी. आयुग्स एवं सचिव, हरियाणा सरकार. नगर संधा ग्राम आयोजना विभाग।